

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.2/एस.सी.एन./2019/
प्रति,

भोपाल, दिनांक

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-सिंगरौली, भोपाल, बुरहानपुर, राजगढ़, बैतूल, विदिशा, रतलाम
मध्यप्रदेश ।
2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला-सिंगरौली, बुरहानपुर, बैतूल, रायसेन, रतलाम, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर,
दतिया एवं नीमच, मध्यप्रदेश ।

विषय :-संचालनालय स्तर से पत्र दिनांक 08.05.2019 , 09.05.2019 एवं दिनांक 10.05.2019 द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस का प्रतिवाद उत्तर सात दिवस की समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने बाबत।

00-00

उपरोक्त विषयान्तर्गत सप्लायरों को किये गये भुगतान पर कांटे गये वैट एवं जी.एस.टी.-टी.डी. एस.को शासकीय खाते में जमा नहीं करने तथा सप्लायरों को तत्संबंधी कटौती प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं करने के संबंध में संचालनालय के पत्र दिनांक 8.5.2019, 09.05.2019 एवं पत्र दिनांक 10.05.2019 के माध्यम से आपको कारण बताओं नोटिस जारी करते हुये प्रतिवाद उत्तर आपसे चाहा गया था जो आपसे आज दिनांक तक अप्राप्त है। जारी नोटिस विभागीय वेबसाईड पर अपलोड है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संचालनालय स्तर से जारी नोटिस का प्रतिवाद उत्तर एम सप्ताह की समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें अन्यथा एक सप्ताह की समयावधि में प्रतिवाद उत्तर आपसे अप्राप्त होने की स्थिति में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन से अभिमत प्राप्त कर प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.2/एस.सी.एन./2019/
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

2621

भोपाल, दिनांक

17/9/19

01. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
02. प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण के संदर्भ में प्रेषित।
03. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर पत्र की प्रति विभागीय वेबसाईड पर अपलोड हेतु प्रेषित।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश